GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. : 82/2015

No. 2015/E(Trg)/23/11

New Delhi, dated: 20.07.2015

The Director General
National Academy of Indian Railways
Vadodara.

The Directors
IRIEEN, Nasik
IRICEN, Pune
IRIMEE, Jamalpur
IRISET, Secunderabad
IRITM, Lucknow
JR RPF Academy, Lucknow

Sub : Delegation of powers to Heads of Centralized Training Institutes for acceptance of resignations of Group 'A' probationers – IRMS probationers regarding.

Heads of CTIs have been delegated powers to accept the resignation of Group 'A' probationers who resign Railway Services to join other services and subsequently they were also delegated the power to waive off the notice period.

Since the training of Indian Railway Medical Service (IRMS) probationers is being handled by National Academy of Indian Railways (NAIR)/Vadodara, it has been decided to delegate the power to accept the resignations of Group 'A' IRMS probationers who resign while undergoing the probationery training at NAIR to Director General/NAIR, subject to observance of other existing instructions on the subject. It has also been decided that Director General/NAIR may waive the notice period that a probationer is required to give before acceptance of the resignation.

NAIR/Vadodara will intimate the acceptance of the resignation of IRMS probationer to Railway Board and to the concerned Railway Zone.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(H. MOHARANA)
Director (Trg)
Railway Board
Fax 011-23385099
Email director.training@ymail.com.

Copy to :

1. PSOs/ Sr PPSs/PPSs to MS, Secretary/RB and DG/RHS.
2. GMs/DG/CAO – All Indian Railways and Productions Units.
3. EDE (GC), E (GR)II branch.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. : 82/2015

सं. 2015/ई(ट्रेनिंग)/23/11 नई दिल्ली, दिनांक 20.07.2015

महानिदेशक,
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी,
वडोदरा।

निदेशक,
आईआरआईईईएन, नासिक
आईआरआईसीईएन, पुणे
आईआरआईएमईई, जमालपुर
आईआरआईएसईटी, सिकन्दराबाद
आईआरआईटीएम, लखनऊ
जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ

विषय: ग्रुप 'ए' प्रशिक्षुओं - आईआरएमएस प्रशिक्षुओं का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के संबंध में।

ग्रुप 'ए' प्रशिक्षुओं जो दूसरी सेवाओं में पदभार ग्रहण करने के लिए रेल सेवाओं से इस्तीफा देते हैं, का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है और बाद में उन्हें नोटिस की अवधि में भी छूट देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी।

चूँकि आईआरएमएस प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का संचालन भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर)/वडोदरा द्वारा किया जाता है, अत: ग्रुप 'ए' आईआरएमएस के उन प्रशिक्षुओं जो एनएआईआर में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण प्राप्त करते समय इस्तीफा देते हैं, के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति महानिदेशक/एनएआईआर को प्रत्यायोजित करने का विनिश्चय किया गया है, परंतु इसके लिए इससे संबंधित अन्य मौजूदा अनुदेशों का पालन किया जाएगा। यह भी विनिश्चय

किया गया है कि महानिदेशक/एनएआईआर उस नोटिस की अवधि में छूट दे सकते हैं जो इस्तीफा स्वीकार करने से पूर्व प्रशिक्षु को देना अपेक्षित होता है।

एनएआईआर/वडोदरा आईआरएमएस प्रशिक्षु का इस्तीफा स्वीकार करने की सूचना रेलवे बोर्ड और संबंधित रेलवे ज़ोन को देगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

एच. महाराणा
(एच. महाराणा)
निदेशक (प्रशिक्षण)
रेलवे बोर्ड
फैक्स: 011-23385099
ईमेल director.training@ymail.com

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सदस्य/कार्मिक, सचिव/रेलवे बोर्ड और महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख स्टाफ अधिकारी,/वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव
2. महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
3. कार्यपालक निदेशक स्थापना (राजपत्रित संवर्ग) और स्थापना (जीआर)II शाखा।